


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3306]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 9, 2019/आश्विन 17, 1941

No. 3306]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2019/ASVINA 17, 1941

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3627(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 2 के खंड(घख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 728 (अ) दिनांक 25 फ़रवरी, 2014, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 10 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुई थी, में इस आशोधन से पूर्व की अथवा करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर, निम्नलिखित संशोधन करती है।

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है की उक्त अधिसूचना में प्रकाशित सारणी के क्रम संख्या 6 के समक्ष खंड 2 के तहत विद्यमान प्रविष्टि 'अधिकारी का पदनाम' के स्थान पर "क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली" को प्रतिस्थापित किया जाए।

2. उपर्युक्त आशोधन सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. 1/2/2013-स्मा. भाग]

उषा शर्मा, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

S.O. 3627(E).—In exercise of the powers conferred by the clause(db) of section 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) S.O. 728(E) dated 25th February, 2014 published in Gazette of India on 10th March, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such modification.

The Central Government hereby specifies that the existing entry under column(2) – ‘Designation of the officer’ against SL. No. 6 of the TABLE in the said Notification shall be substituted as “Regional Director (Northern Region), Archaeological Survey of India, New Delhi.

2. The above said amendment shall take effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F.No. 1/2/2013-M. Pt.]

USHA SHARMA, Director General